Anusanadhan: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Volume 5, Issue 3&4 - 2020, Pg. No. 23-30
Peer Reviewed Journal

Research Article

कुमाऊँ गढ़वाल में ब्रिटिश प्रशासन (1815-1857 ई0)

भारती बिष्ट

इतिहास विभाग, हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद, एम॰जे॰पी॰ रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202012

I N F O

E-mail Id:
bhartibishtrawal@gmail.com
Orcid Id:
https://orcid.org/0000-0002-5976-4676

Date of Submission: 2020-07-08
Date of Acceptance: 2020-07-27

सारांश

दार्जलिंग से शिमला तक पहाड़ और कुछ भाग तराई का, नेपाल राज्य में था। उधर दक्षिण से बढ़ते बढ़ते अंग्रेज भी हिमालय की जड़ में पहुँच गये थे। हिमालय के ठण्डे स्थान जो इंग्लैण्ड की जलवायु सदृश थे तथा बहुमूल्य खनिज सम्पदा से भरपूर थे अंग्रेजों के लोभ को और बड़ा रहे थे। अतः ऐसी स्थिति में अंग्रेजों को बहाना मात्र चाहिए था वे नेपाल से हिमांलय तक अधिक से अधिक भाग को छीन लेना चाहते थे। इस पर गर्वनर जनरल लार्ड हेस्टिंग्स ने अप्रैल 1814 ई. में विवादास्पद भूभाग पर अधिकार करने का हुक्म दिया और वह काम निर्विरोध पूरा हो गया।'' 1814 में गोरखों ने शिवराज पर अधिकार कर लिया तथा तीन थानों को जला दिया। अतः 1814 ई0 में गर्वनर जनरल लार्ड हैस्टिंग्स ने गोरखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। चार अंग्रेजी सेनाऐं चार भागों से नेपाल और कुमाऊँ पर अधिकार करने के लिए भेजी गयी। जनरल आक्टरलोनी की सेना के अतिरिक्त सभी अंग्रेज सेनापतियों को गोरखों की सेना से पराजित होना पड़ा। आक्टरलोनी ने गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को पराजित कर दिया। अन्त में एक सेना कर्नल गार्डनर के नेतृत्व में रुद्रपुर भमौरी होते हुए भीमताल की ओर से बाराखेड़ी के किले पर अधिकार के लिए भेजी गयी। गार्डनर की सेना बिना किसी विरोध के 12 फरवरी को कन्यासी, 13 को चिलकिया और 14 को मसौत पहुँच गयी। गोरखा सेना को कमपुर (रानीखेत) से हटाने के लिए गार्डनर 26 फरवरी से 22 मार्च तक टक्कर मारता रहा, चूंकि अब रुहेले भी अंग्रेजों की सहायता कर रहे थे। अल्मोड़ा और कमपुर (रानीखेत) के बीच स्याहीदेवी एक बड़े ही महत्व का स्थान था, किन्तु उसकी रक्षा का गोरखों ने कोई प्रबन्ध नहीं किया था। अंग्रेजों ने उसे 23 मार्च को ले लिया। अल्मोड़ा के पास तक गोरखों के इस तरह बिना लड़े पीछे हटने से कुमाऊँनियों पर बुरा प्रभाव पड़ा। कप्तान हियरसी बन्दी बना लिया गया लेकिन गोरखों ने इस बड़ी विजय का जितना फायदा उठाना चाहिए था, नहीं उठाया। 8 अप्रैल (1815) को कर्नल निकल्सन नयी सेना लेकर कटारमल पहुंचा, और उसने सारी सेना का संचालन अपने हाथों में ले लिया। उधर हस्तिदल भी अल्मोड़ा पहुंच गया। 23 अप्रैल को गणानाथ के मन्दिर के पास दोनों सेनाओं में युद्ध हुआ, जिसमें वीर हस्तिदल मारा गया। फ्रेजर के अनुसार ''हस्तिदल की मृत्यु से शत्रु ने एक अत्यन्त महत्वाशाली, कर्मठ और साहसी अफसर को खो दिया। लाल मंडी किले का नाम तत्कालीन गर्वनर जनरल मोयरा के नाम से ''फोर्ट मोयरा'' रखा गया। 1815 ई0 में ''सुगौली सन्धि'' के अनुसार गढ़वाल पर भी अधिकार हो गया। प्रस्तुत शोध पत्र में कुमाऊँ–गढ़वाल में 1815 से कम्पनी शासन को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

मुख्य बिन्दु: रानीखेत, गोरखा, कुमाऊँ–गढ़वाल, मालगुजारी

Copyright (c) 2020: Author(s). Advanced Research Publications

राजस्व प्रशासन

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन के प्रारम्भिक वर्षों में विजित जिलों में आय के प्रमुख दो स्रोत थे–एक मालगुजारी तथा दूसरा सायर अर्थात् खेती के अतिरिक्त अन्य राजस्व जिनका अधिकांश भाग टेक्सों द्वारा जमा होता था। बाद में सायर करों को अन्तर्देशीय करों के रूप में जाना जाता था जिसमें चुंगी, आबकारी कर, नमक कर तथा स्टाम्प कर शामिल थे।

यद्यपि कुमाऊँ ब्रिटिश साम्राज्य में 1815 के अन्त में मिलाया गया था तथापि अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र का वास्तविक प्रशासन मई 1815 ई0 से प्रारम्भ कर दिया गया था। जबकि वहां स्थित प्रभारी अधिकारी को शासन द्वारा कमिश्नर का शासकीय पदनाम देकर गर्वनर जनरल के ऐजेण्ट के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया गया था। अक्टूबर 1816 ई0 में कुमाऊँ प्रदेश जैसा कि वह उस समय कहलाता था कमिश्नर बोर्ड के अधीन रखा गया यद्यपि वहां कमिश्नर के नाम से स्वतन्त्र पद बराबर बना रहा। कुमाऊँ का प्रशासन अन्य क्षेत्रों के प्रशासन से भिन्न प्रकार से चलाया जाता था क्योंकि वह गैर आइनी (नॉन रेगुलेशन) प्रान्त था। उसके ऊपर बोर्ड का कड़ा नियन्त्रण नहीं था जैसा कि मैदानी भागों में साधारण विनियमों के द्वारा नियन्त्रित जिलों में था अतः कुमाऊँ कमिश्नर के पास विशेष अधिकार थे।

कमिश्नर के अधीन डिप्टी कमिश्नर होता था जो उसका सहभागी आईनी जिलों में कलक्टर के समकक्ष था। कुमाऊँ के डिप्टी कमिश्नर तथा आइनी जिलों के कलक्टर में यह अन्तर होता था कि डिप्टी कमिश्नर के पास जिला जज के सिविल अधिकार भी थे जो कि राजस्व क्लक्टर को नहीं होते थे। डिप्टी कमिश्नर अथवा सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर से ऊँचा होता था अर्थात् आइनी क्षेत्र के डिप्टी कलक्टरों से बड़ा होता था। 1833 तक केवल असिस्टेंट कमिश्नर से छोटे पद हिन्दुस्तानियों के लिए खुले रहते थे। राजस्व प्रशासन में तहसीलदार बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता था। वह सार्वजनिक भीड़ में शासन द्वारा घोषित आदेशों का प्रचार करने के लिए अधिकृत होता था तथा मालगुजारी के लिए प्रमाणिक सूचना प्राप्त करने के लिए, विगत वर्षों के अभिलेखों को दृष्टिगत करते हुए मालगुजारी निश्चित करने हेतु शासन की अनुमति के अधीन बन्दोबस्त करता था। 1833 तक भारतीय कर्मचारियों में तहसीलदार सबसे अधिक वेतन पाने वाला होता था वह पुलिस अधिकारी भी होता था लेकिन राजस्व तथा पुलिस दोनों के दायित्वों हेतु उसके बहुत सीमित अधिकार थे।

कानूनगो जो पहले ''दफ्तरी'' के पदनाम से जाना जाता था तलसीलदार को उसके दायित्वों के सम्बन्ध में मदद करता था। साधारणतया ये मालगुजारी की वसूली करते थे, सरकारी अभिलेख लिखते थे तथा उनको सुरक्षित रखते थे अर्थात् ये रिकार्ड कीपर थे। कानूनगो का पद खानदानी समझा जाता था और एक ही परिवार में बना रहता था लेकिन दोनों पूर्व सरकारें (चन्द तथा गोरखा) तथा अंग्रेज प्रशासक हमेशा अपने विवेकानुसार उस परिवार से सुयोग्यतम व्यक्ति को बिना उसके पैदाइशी अथवा वरिष्ठता के दावे को ध्यान में रखते हुए नियुक्त करते थे।

इस श्रृंखला की अन्तिम कड़ी पटवारी होता था। यद्यपि वह राजस्व व्यवस्था का एक छोटा सा अंग था तथापि वह अत्यन्त महत्व का अधिकारी था। पहाड़ में पटवारी ब्रिटिश प्रशासन के पूर्व के शासकों के पहले न थे। यद्यपि कुछ दफ्तरी अथवा कानूनगो जिनके पास बड़ी पट्टियाँ होती थी, लिखने वालों की सहायता प्राप्त करते थे जिनको ''लिखवार'' कहते थे। 1819 का बन्दोबस्त करते समय ट्रेल ने लगभग पांच सौ रू0 अधिक पाने पर पटवारियों की नियुक्ति की थी, पांच रूपया प्रतिमाह वेतन पर। दूसरे बन्दोबस्त में ये पाया गया कि बिना पटवारियों की मदद से नयी आबाद जमीनों का एक चौथाई भाग भी राजस्व सूचियों में शामिल नहीं किया जा सकता है। कानूनगो द्वारा लिखे गये अभिलेख अपूर्ण पाये गये क्योंकि ये अधिकारी अधिकाशतः मुख्यालयों पर ही रहते थे और स्थानीय ग्रामों की जानकारी के अभाव में परगनों में रहने वाले अपने अधीनस्थों की रिपोर्टों में विश्वास करते थे। पहाड़ों के पटवारियों में, मैदान में उनके समकक्ष पदधारकों (लेखपालों) से बिल्कुल समानता न थी। पटवारियों के पास लेखपाल की तुलना में अधिक अधिकार थे। वह एक ऐसे क्षेत्र का अधिकारी होता था जिनमें कभी–कभी 60 से 80 तक गांव शामिल रहते थे और यद्यपि वह प्रमुखतः एक राजस्व अधिकारी होता था तथा फौजदारी मामले में उसे पुलिस सब इंस्पैक्टर के अधिकार प्राप्त थे। उसके राजस्व अधिकार–मालगुजारी वसूल करना, न्यायालयों से प्राप्त आदेशों के अधीन नाप गांवों के काश्तकारों को भगाने से रोकना, झगड़ों का निर्णय करना तथा ऐसे मामलों की मुख्यालय को सूचना देना, सिविल न्यायालयों द्वारा कब्जे की बिक्री को शामिल करना, सड़कों की मरम्मत को देखना, कुलियों की व्यवस्था करना तथा उनका वितरण करना था। इसके अतिरिक्त पुलिस अधिकारी होने के नाते राजस्व दायित्वों के साथ–साथ पुलिस के कुछ दायित्व जैसे कि झगड़ों की रोकथाम, अपराधों की आख्या लेना, मृत्यु–आत्महत्या आदि की सूचना देना होता था। पटवारियों को अदक्षता अथवा दुर्व्यवहार के कारणों पर बर्खास्त किया जा सकता था और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदला जा सकता था।

राज्य और पधान के बीच में मध्यस्थ अधिकारी को थोकदार, बूढ़ा अथा सयाना कहा जाता था। ये राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जमीन पर इनका कोई अधिकार नहीं था। इनका दायित्व कुछ गांवों की नियत मालगुजारी वसूल करना था। पधान इनके अधीन काम करते थे। इनकी नियुक्ति परगनों के प्रमुख पधानों में से होती थी। अधिकांश थोकदारों द्वारा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया जाता था।

मालगुजारी

गोरखा राज्य में कुमाऊँ के लोग मालगुजारी प्रथा में अनियमितता के कारण तथा मालगुजारी की क्रूरता से वसूली के कारण काफी परेशान थे। 1815 ई0 में सुगौली की सन्धि के पश्चात् जब अंग्रेजों ने कुमाऊँ और गढ़वाल पर अधिकार कर लिया तो उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों की इस विषयक नराजगी को दूर करने के लिए कुछ किया जाना चाहिये। कमिश्नरों ने यथासम्भव इस बात का प्रयास किया कि मालगुजारी का निर्धारण उचित तरीके से किया जाये।

कुमाऊँ में प्रथम बन्दोबस्त गार्डनर ने 1815 में किया था। इस बन्दोबस्त

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202012

से पहले गढ़वाल से कुछ गांवों की अदला–बदली की गयी। और तब मालगुजारी का निर्धारण गोरखों द्वारा विगत वर्षों में वास्तविक रूप से प्राप्त की गयी राशि के अनुसार किया गया क्योंकि युद्ध के कारण अभिलेखों के नष्ट हो जाने से गार्डनर अधिक विश्वसनीय सूचना राजस्व के निर्धारण विषय में प्राप्त नहीं कर सका था।

अगला बन्दोबस्त ट्रेल द्वारा 1817 ई0 में पधानों अथवा गांवों के मुखियों की सहायता के लिए किया। उस समय कुमाऊँ में वसूली का नया तरीका लागू किया गया क्योंकि तब तक पधानों के अधिकार व कर्तव्यों को निश्चित नहीं किया गया था। इस व्यवस्था को आंशिक रूप से लागू किया गया और लीजों को एक वर्ष तक प्रतिबन्धित किया गया। यह बन्दोबस्त जिस सिद्धान्त पर आधारित था उसका वर्णन ट्रेल ने इस प्रकार किया है। ''किसी भी व्यक्ति के अधिकारों में कोई समझौता नहीं किया गया क्योंकि अमीन अपनी स्थापित लेनदारी को अपने उपविभागीय गांवों में लेते रहे थे तथा वे सरकार और ग्रामवासियों के बीच पुलिस के मामलों में संचार के स्रोत थे। ग्राम्य बन्दोबस्त होने के कारण यह आवश्यक हो गया था कि मालगुजारी वास्तविक उत्पादन के आधार पर की जाए तथा प्राकृतिक स्थिति के कारण उनकी वास्तविक नाप अथवा परीक्षण भी सम्भव न था तथा कानूनगों द्वारा आंकलित आकड़ें प्रत्येक पट्टी के सफल आंकलन थे। चूंकि सकल मांग पट्टीवार एकमुश्त की गयी थी अतः उन्हें निर्देश दिये गये कि वे स्वयं ब्योरेवार निर्धारण करें– एक ऐसा कार्य जिसे उन्होंने समानता व निर्भय होकर पूरा किया क्योंकि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।''

तीसरा बन्दोबस्त पहला प्रावैधिक बन्दोबस्त था। यह 1818 ई0 में किया गया और पिछले बन्दोबस्त के सिद्धान्तों के आधार पर था। निर्धारण में थोड़ा वृद्धि की गयी। वृद्धि मांग में प्रत्येक गांव में इतनी कम वृद्धि की गयी कि गांव के मालिकों द्वारा बिना किसी ऐतराज के बन्दोबस्त को बचाये रखा जा सके।

प्रथम त्रिवार्षिक बन्दोबस्त के पश्चात् यह विचार किया गया कि अगला बन्दोबस्त और लम्बी अवधि के लिए किया जाना चाहिए लेकिन छोटे भूस्वामी दीर्धकालीन बन्दोबस्त में स्वयं को घेरने के लिए राजी नही थे क्योंकि वे घुमक्कड़ काश्तकार थे। अन्त में भूस्वामियों के कष्टों को ध्यान में रखते हुए ट्रेल ने संस्तुति दी कि बन्दोबस्त केवल तीन वर्ष के लिए किया जाना चाहिए। इस बन्दोबस्त में बीसी (एक बीसीत्र20 नालीत्र4800 वर्ग फुट) को जमीन नापने का मापदण्ड बनाया गया। प्रत्येक गांव के अधिकारों का अभिलेख उसके खातेदारों की अधिक संख्या के कारण तैयार करना असम्भव समझा गया लेकिन इस बात का प्रयास किया गया कि उनके अधिकारों की सुरक्षा की जाय। इस हेतु खातेदारों को उनके पधान के अधीन रखा गया और अमीनों को गांव के राजस्व की वसूली में दखल देने से रोक दिया गया। परगना अभिलेखों की मदद से प्रत्येक गांव के अधिकारों का अभिलेख तैयार किया गया। यह जानना एक दिलचस्प बात होगी कि पहले जोत का क्षेत्र बोये गये बीज की मात्रा पर निर्धारित रहता था जो कि स्वतः ही जोते गये क्षेत्र की सही नाप नहीं थी इसलिए इस बन्दोबस्त में किसी भी गांव के राजस्व निर्धारण में उस गांव के निवासियों की संख्या को अधिक महत्व दिया गया न कि क्षेत्र को। इस बन्दोबस्त के कारण कुमाऊँ में जमीन का मूल्य काफी सीमा तक बढ़ गया। बेकार पड़ी भूमि को बड़ी मात्रा में जोत के अन्दर ले लिया गया। अनाज की कीमत बढ़ती चली गयी और भूस्वामियों पर हल्का कर लगाया गया। इन सब के कारण लोगों की दशा में निःसन्देह सुधार हुआ। साथ ही साथ चार लाख रूपये सार्वजनिक कार्य, व्यक्तिगत जोतों व भण्डारणों पर विशेषतया गरीब लोगों के लिए खर्च किये गये। मैदानी व्यापारियों के माल की कीमत में मुनाफा कर समाप्त करने के कारण चीजों के दामों में गिरावट आने के कारण लोगों को और राहत मिली इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप राजस्व में वृद्धि दिखायी देती थी लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुमाऊँ की हालत में सुधार हुआ था।

चौथे बन्दोबस्त के पश्चात् एक पंचबर्षीय बन्दोबस्त लोगों के लिए अधिक मान्य समझा गया जिससे गांव–गांव में खानाबदोश लोगों द्वारा उत्पन्न की गयी परेशानियों को हटाने के लिए, जो कि 1823 के पिछले त्रिवर्षीय बन्दोबस्त द्वारा दूर नहीं हुआ था को दूर करने का प्रयत्न किया गया।

1823 में प्रथम बार खेतों के सर्वे करने का प्रयास किया गया और अनुमान के आधार पर नाप की गयी। देशी अधिकारियों ने थोकों के नाम, क्षेत्र तथा उनका क्षेत्रफल अंकित किया जिन पर बन्दोबस्त आधारित था।

वास्तव में ट्रेल ने एक बड़ा काम किया। यद्यपि वह एक खाका ही था परन्तु जिसने भी उससें परिवर्तन करने की सोची वह उसके लिए आधार था। 1823 की अनुमानित माप की एक किताब तथा मालगुजारी व लगान की एक सूची भी तैयार की गयी जिसमें यह दिखाया गया कि पधानों के द्वारा मालगुजारी किस प्रकार वसूल की जायेगी तथा आदमियों से कहाँ– कहाँ लगान लिया जायेगा। यह याद रखा जाना चाहिए कि पिछले बन्दोबस्त में अधिकारों का अभिलेख परगना अभिलेखों के आधार पर बनाया गया था पर यहां मालगुजारी तथा लगान सूचियों को खेतों के सर्वे के आधार पर तैयार की गयी।

इस बन्दोबस्त को अस्सी साला बन्दोबस्त या सन् अस्सी के बन्दोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह सम्भवत् 1880 में किया गया था।

1823 ई0 के बन्दोबस्त के बाद यह प्रस्ताव किया गया कि सभी परगनों में जहां अच्छी खेती होती थी तथा जहां के भूस्वामियों ने कोई आपत्ति नहीं की, इस वर्तमान बन्दोबस्त को अगले पांच वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाय जिसका प्रारम्भ 1828 ई0 से होगा। इसकी स्वीकृति प्राप्त होने पर इसको 1829 ई0 में दोहराया गया। इस बन्दोबस्त से अधिक उन्नति भाबर के परगनों ने की। इसका कारण वहां नये गांव की स्थापना थी। ट्रेल द्वारा दो जनवरी 1829 को दो–एक पत्र शासन को भेजे गये जिनमें उसने तब तक हुये विभिन्न बन्दोबस्तों का उद्देश्य सूचित किया। उनके अनुसार, ''1815 ई0 में कुमाऊँ में ब्रिटिश शासन लागू होने पर सबसे अधिक ध्यान इस बात पर देने की आवश्यकता महसूस की गयी कि काश्तकार अपनी भूमि को प्राप्त कर सकें। जनता से कर निर्धारण का आधार सामूहिक रूप से पिछले वर्षों के प्राप्तियों के आधार

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202012

पर निर्धारित किया गया। सभी अतिरिक्त करों को मालगुजारी की मांग से हटा दिया गया। यद्यपि यह छूट बहुत ही कम थी परन्तु वसूली की प्रथा में सरलीकरण के कारण भूमि स्वामियों को थोड़ी सी राहत प्राप्त हुई। आगामी पांच बन्दोबस्तों में राज्य की मांग देश की तरक्की से जुड़ी रही। वह अन्य खातेदारों से निर्धारित मात्रा में मांग प्राप्त कर सकता था। इस बन्दोबस्त में ''रैयतबाड़ी बन्दोबस्त के समस्त लाभ बिना अनिश्चितता के शामिल थे। काश्तकार अपनी भूमि के पूर्ण लाभ को सार्वजानिक देयों को अदा करने के पश्चात् प्राप्त करता था। अपनी जमीन में खेती करने से पहले वह जानता था कि उसे कुल कितनी लगान देनी है लेकिन सरकार के राजस्व और भूस्वामियों के व्यक्तिगत आय का विवरण होने पर भी, जमीन के असमान बंटवारे के कारण यह किसी भी प्रकार जनता या व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक नहीं था। बड़े खेतों (फार्मो) को स्थानीय खपत अथवा विदेशी बाजार पर निर्भर रहना पड़ता था। दूर–दराज के निवासी पूर्णतया कृषक थे। अतः उन स्थानों पर रहने वाले सरकारी सेवक ही एक मात्र ग्राहक थे।''

द्वितीय पंचवर्षीय बन्दोबस्त के पश्चात् राजस्व–परिषद् ने 1832–33 में 20 वर्षीय बन्दोबस्त का सुझाव दिया। ट्रेल को कहा गया कि वह अपनी सहमति व्यक्त करें लेकिन उसने इस व्यवस्था को स्वीकृति देने से इन्कार करते हुये लिखा–''बीस साल की अवधि के लिए नये बन्दोबस्त को बढ़ाने पर निःसन्देह उन गांवों एवं परगनों में वृद्धि होगी जहाँ खेती एवं आबादी है लेकिन अन्य जिलों में जहां आबादी तथा खेती बहुत कम पैमाने में है तथा जहाँ काफी मात्रा में जमीन बेकार पड़ी है उससे राजस्व में काफी गिरावट आयेगी। विशेषतया वहां नयी स्थितियां पैदा करना असम्भव है। जहाँ कृषकों की आदत अत्यधिक खानाबदोसी की है। उनके छोड़कर चले जाने पर खाली जमीन नये किरायेदारों द्वारा तुरन्त नहीं भरी जाती है। इन कारणों तथा कुछ अन्य अप्रत्याशित घटनाओं के कारण जैसे– टिड्डियों के हमले, वर्षा की कमी आदि के फलस्वरूप ट्रेल ने केवल पांच वर्षो की अवधि के लिए बन्दोबस्त करने की सिफारिश की।

नवां बन्दोबस्त 1842 ई0 में बैटन ने किया। वह बीस वर्ष के लिए था। अवधि निर्धारण करने का कोई कारण नही दिया गया ऐसा प्रतीत होता है कि गोअन को लोगों की विचारधारा में बदलाव करने में और बीस वर्षीय बन्दोबस्त को स्वीकार करने में सफलता प्राप्त हो गयी हो। बेटन द्वारा इस बन्दोबस्त में अंगीकृत किये गये महत्वपूर्ण सिद्धान्तों को निम्न प्रकार संक्षेप में कहा जा सकता है –

1. सभी मामलों में पधान की नियुक्ति की सहमति में खातेदारों का बहुमत जरूरी था। बड़ें गांवों में एक से अधिक प्रधान भी छांटा जा सकता था।
2. उन गांवों में जहां थोड़े अथवा बहुत अधिक खातेदार थे लेकिन जमीन खायकरों द्वारा आबाद की जाती थी पधान को ऐसे मामलों में किसी भी भाग की आबादी में दखलअन्दाजी करने की मनाही थी। वह केवल सरकारी राजस्व का भाग खातेदारों से वसूल करने का अधिकारी था तथा खायकरों द्वारा अपने भाग की वसूली की व्यवस्था खातेदारों द्वारा स्वयं की जानी चाहिये।
3. यही नियम उनके लिए भी लागू किया गया जहाँ वंशानुगत सम्पत्ति थी तथा जहाँ भूमि वहीकाश्त किरायेदारों अथवा सिरतान असामियों द्वारा आबाद की जाती थी।
4. थोकदारों एवं पधानों के नयावाद जमीन में कुछ ही समय पूर्व निर्धारित प्राथमिकता के अधिकार को तुरन्त समाप्त कर दिया गया।
5. ग्रामों में नयावाद भूमि की व्यवस्था के लिए लोगों द्वारा निर्धारित इस व्यवस्था को यदि किसी कारणवश एक व्यक्ति द्वारा लीज छोड़ने पर दूसरे व्यक्ति को लीज दिये जाने की प्रथा को तुरन्त बन्द कर दिया गया।
6. किसी भी गांव को स्वतन्त्र लीज की मन्जूरी नहीं दी गयी यदि अभिलेखों द्वारा 1815 से निरन्तर लीज चली आ रही थी तो उसके वर्तमान गांव में संयुक्त होने से अलग कर दिया गया।
7. पधान के पारिश्रमिक को चाहे वह जमीन, धन अथवा दोनों के रूप में हो पक्षों के आपसी समझौते के आधार पर छोड़ दिया गया।
8. जनसेवा के साधारण नियमों के अपवाद के अधीन राजस्व लगान और ''अनबन्ती'' अथवा अविभाजित तथा लावारिस या ऐसी भूमि जिस पर किसी का स्वामित्व न हो तथा चारागाहों के अधिकारों के बारे में वास्तविक नामों से इकरारनामा काश्तकारों से लिखा लिया गया। जो स्वयं उनके प्रशासन की व्यवस्था तथा उत्तरदायित्वों के अनुरूप था।
9. ग्रामीणों को पधान अथवा मालगुजार होने के कारण उनके वास्तविक कब्जे में जो भूमि थी उसमें किसी भी प्रकार की दखलअन्दाजी करने की अनुमति नहीं दी गयी।

अधिकारों का अभिलेख (सूची) जो कि प्रत्येक गांव के लिए बनाया गया था, बेटन के बन्दोबस्त की एक विलक्षण विशेषता थी। इन अधिकारों के अभिलेख में प्रत्येक कब्जेदार के अधिकारों का पूर्ण विवरण था जिसमें पिछले निर्धारण का पूरा इतिहास, सीमा व्यवस्था तथा इकरारनामा था तथा समस्त निवासियों द्वारा पधानों को देय पारिश्रमिक तथा अन्य प्रकार की थोकदारी, सयानाचारी, उसकी देय हिस्सेदारी व नियमों के अनुरूप जनसेवा के लिए उसकी बाध्यता एवं अच्छे प्रशासन आदि का विवरण था तथा ''फर्द–फाट'', जिसमें कि पधानों का नाम दिया गया था और विभिन्न पधानों के बीच मालगुजारी देने वाले का बंटवारा, जहाँ एक से अधिक पधान छांटे गये थे खातेदारों अथवा काबिजों (कब्जेदारों) द्वारा राजस्व की मांग तथा वहिकाश्त और अन्य काश्तकारों के दायित्वों का भी उल्लेख था। इन अभिलेखों के अतिरिक्त एक ज्ञापन (रूवाखड़ी) भी था जिसमें समस्त प्रस्तुत किये गये अर्जियों का विवरण तथा उन पर की गयी कार्यवाहियों का पारित आदेश भी था। इन कार्यवाहियों के सिलसिले में एक अलग फाईल बनायी गयी थी।

उपलब्ध साक्ष्यों से जाहिर होता है कि बेटन के बन्दोबस्त ने लोगों की दशाओं में बहुत सुधार किया। इससे पहले किसी भी गांव के विषय में जमींदारी से सम्बन्धित अधिकार नहीं थे। इस बन्दोबस्त के द्वारा लोगों को इमारती लकड़ी बेचने, चारागाहों से शुल्क वसूल करने अथवा अपने उन पड़ोसियों को, जो कि पुराने समय से उन चारागाहों में अपने जानवर चराते आ रहे थे, को रोकने, लकड़ी काटने तथा पेड़ों की पत्तियां इक्कठी करने का अधिकार दिया

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202012

गया। इस व्यवस्था को 1840 ई0 से आबादी में वृद्धि का एक मुख्य कारण माना जा सकता है। छोटे–छोटे गांव बड़े गांव बन गये तथा जहां पहले केवल जानवरों के रहने की जगह थी वे भी बड़ी आबादी बन गये।

न्याय, पुलिस/प्रशासन तथा जेल व्यवस्था

कुमाऊँ में चन्द शासनकाल में न्यायालयों को कोई नहीं जानता था। झगड़ों का निपटारा ग्राम पंचायतों द्वारा होता था और गांव के सभी लोग अपने रीति– रिवाजों से बंधे होते थे चाहे वे गलत थे या सही। न्याय प्रशासन का मुख्य तरीका उन दिनों खास कानून था। पधान अथवा थोकदार सरपंच हुआ करते थे और पंचायत केवल सामाजिक मामलों का ही निपटारा नहीं करती थी वरन् दीवानी तथा फौजदारी मामले भी तय करती थी। अल्मोड़ा में पंचायतों को प्राचीन न्यायालय कहा जाता था। कसूर पाये जाने पर मुलजिम को ''कैलनामा'' लिखना पड़ता था अथवा अपने कसूर को स्वीकार करना पड़ता था जिसे पंचायत के सभी सदस्यों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के पश्चात् शिकायतकर्ता को दे दिया जाता था।

फ्रांसिस हेमिल्टन ने पाया कि नेपाल में झगड़ों का निपटारा पंचायतों द्वारा किया जाता था। उसने कुमाऊँ के बारे में लिखा है जो कि उस समय गोरखाओं के क्रूर शासन के अधीन था। ''फौजदारों को, छोटे दांवों को बिना अपील के निपटाने की शक्ति प्राप्त थी। लेकिन हमेशा पंचायत की मदद से।'' गोरखाओं को पंचायत प्रणाली पर बड़ा विश्वास था जैसा कि हडसन ने भी कहा है ''राजधानी (नेपाल) का आधा न्याय का कार्य उनके (पंचायतो) द्वारा किया जाता था।'' लेकिन दुर्भाग्यवश इस पंचायत प्रणाली को कुमाऊँ में लागू नहीं किया गया। गोरखा शासन में न्याय की नियमित प्रणाली नहीं थी। समस्त दीवानी तथा छोटे फौजदारी मामलों का निपटारा फौज की टुकड़ियों के सेनापतियों द्वारा किया जाता था जिन्हें यह काम सौंपा गया था। महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा प्रान्त के राज्यपाल द्वारा सेना के प्रमुख अधिकारियों की मदद से जो भी उस समय मुख्यालय में उपस्थित हो किया जाता था चूंकि सेनापति कभी–कभी ही मुख्यालय पर रहते थे। अतः वे अपने इस अधिकार को अपने सहायकों को दे देते थे जिन्हें ''बचारी'' कहा जाता था।

ब्रिटिश राज्य में कुमाऊँ के लोगों को केन्द्रित न्यायालयों का लाभ उपलब्ध कराया गया जो कि एक मजबूत केन्द्रीय शक्ति थी और जिनके पास अदालतों के निर्णयों को लागू करने के अधिकार थे। कुमाऊँ को तथा उसकी न्याय प्रणाली को भारत के अन्य भागों से अलग किया गया क्योंकि कुमाऊँ कानूनों के अन्तर्गत बंटा हुआ था।

1816 में ट्रेल ने लिखा था कि अल्मोड़ा में अपराध बहुत दुर्लभ थे। और सम्पूर्ण जिले में लोग कत्ल से लगभग अनभिज्ञ थे। चोरी व लूट–पाट की घटनायें भी बहुत कम होती थी। कुमाऊँ के जनपद, अल्मोड़ा के विषय में यह बात सत्य थी इस पहाड़ी जनपद में अपराधों की संख्या बहुत ही कम अथवा नगण्य थी और यहां के निवासी कानूनों को मानने वाले थे। जनपद अल्मोड़ा में अपराधों के न होने में एक स्मरणीय तथ्य यह भी था कि साधारण प्रशासन में न्यायालयों में केवल दीवानी व राजस्व दावे ही होते थे। 1817 में रेगुलेशन दस पारित किया गया जिसने कुमाऊँ के अधिकारियों को कत्ल, नरहत्या, लूटमार, राजद्रोह आदि जैसे मामलों को छोड़कर अन्य फौजदारी अधिकार क्षेत्र दे दिया गया तथा कत्ल नरहत्या जैसे मुकदमों की सुनवायी के लिए ''गर्वनर जनरल इन काउन्सिल'' द्वारा कमिश्नर की नियुक्ति की जाती थी। परन्तु यह स्मरण योग्य है कि इस प्रकार के अपराध बहुत ही दुर्लभ थे अतः यह आवश्यक नहीं समझा गया कि किसी अधिकारी को इस रेगुलेशन के अधीन अधिकार देकर नियुक्त किया जाय। 1828 ई॰ में सम्पूर्ण कुमाऊँ प्रान्त को फौजदारी मुकदमों की सुनवायी के प्रयोजनार्थ बरेली के अन्तर्गत रख दिया गया। यह 1838 ई. में एक्ट दस के तहत समाप्त कर दिया गया जिसके द्वारा कुमाऊँ के फौजदारी न्यायालयों को ''निजामत अदालत'' (यह उत्तरी पश्चिमी राज्यों का फौजदारी का सबसे बड़ा न्यायालय था इसने 1831 से कार्य करना प्रारम्भ किया।) के निगरानी व नियन्त्रण में रख दिया गया।

1815 से 1829 तक सिविल तथा राजस्व मामलों के लिए केवल एक ही अदालत थी अर्थात् कमिश्नर की अदालत। 1829 का वर्ष इस विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि आर॰एन॰ वर्ड की संस्तुति पर मुन्सिफ का एक नया पद सृजित किया गया जिसमें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय लोगों की शिकायतों को दूर किया जा सके। इन मुन्सिफों ने सिविल जज के रूप में 1838 तक कार्य किया।

1838 ई0 में मुन्सिफ के दफ्तर समाप्त किये जाने पर यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में एक वरिष्ठ सहायक, एक सदर अमीन तथा एक मुन्सिफ की व्यवस्था की जाए।

पुलिस तथा जेल

बद्रीदत्त पाण्डे के अनुसार कत्यूरियों के रामराज्य में पुलिस की कोई आवश्कता नहीं थी चन्द राजाओं के समय में पुलिस के कार्य को थोकदार तथा पधान करते थे। गोरखों के शासनकाल में सैनिक अधिकारी पुलिस तथा सेना दोनों कार्य करते थे। 1816 ई0 में ट्रेल ने लिखा है कि ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊँ में विशेष पुलिस की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि कुमाऊँ में अपराध बहुत कम होते थे। कुमाऊँ में पुलिस दस्ते की विशेष आवश्यकता नहीं थी। जनपद अल्मोड़ा का पुलिस थाना सबसे पुराना है जो कि 1837 ई0 में स्थापित किया गया।

यहाँ पर पुलिस के प्रमुख कार्य पधानों व थोकदारों के द्वारा किये जाते थे। अदालतों व तहसीलों में कुछ चपरासियों को चौकदारों व पधानों की सहायतार्थ रखा जाता था जो कथित हत्यारों, अपराधियों तथा कैदियों को ले जाने का कार्य करते थे। पधान अपराधियों को पकड़ते थे तथा अपराध की सूचना पटवारी को देते थे। पटवारी के पास पुलिस सब इंस्टेपक्टर के अधिकार थे तथा पधान गम्भीर अपराधों से सम्बन्धित व्यक्तियों के मुकदमों की सुनवायी हेतु उन्हें पटवारी के सामने पेश भी करते थे। थोकदारों का यह कर्तव्य भी था कि जो मामले पधानों ने छोड़ दिये है वे उनकी सूचना दें।

ईस्टइण्डिया कम्पनी के प्रारम्भिक काल में ऊपरी प्रान्तों में जेलों की व्यवस्था बहुत खराब थी और उनके लिए कोई नियमावलियां निर्धारित नहीं थी। जेल की प्रारम्भिक व्यवस्था खराब (चरित्र हनन करने वाली) थी। समय–समय पर इनकी स्थिति की जांच होती थी और इनमें सुधार लागू होते रहे। 1838–39 ई0 में लार्ड आकलैण्ड

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202012

ने अपनी रिर्पोट में संयुक्त प्रान्त के नियमों के बारे में महसूस किया था कि–''जेलों की इमारतों तथा प्रशासन इन प्रान्तों में अधिकांश जगहों पर बहुत दोषपूर्ण थे।'' लार्ड आकलैण्ड ने कई परिवर्तन किये और आशा की कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जेल प्रशासन तथा कैदियों में अनुशासनात्मक सुधार होगा।

इस समय इस बात की आवश्यकता का अनुभव किया गया कि संयुक्त प्रान्त के जेलों में एक वरिष्ठ अधिकारी को पर्यवेक्षण तथा कैदियों से सम्पर्क बनाये रखने के लिए नियुक्त किया जाए। अतः 1844 में संयुक्त प्रान्त में एक जेल इंस्पेक्टर की नियुक्ति की गयी। जेल इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति डब्लू॰ एस॰ वुडकाक्स था। उस समय संयुक्त प्रान्त में 40 जेलें थी जिसमें से कुमाऊँ क्षेत्र के लिए जेल अल्मोड़े में थी। इन सबका नियन्त्रण जेल इंस्पेक्टर द्वारा किया जाता था।

अल्मोड़ा जेल की स्थापना 1816 ई॰ में 2,500 रू0 में की गयी। आज यहाँ पर जिला अस्पताल है। बाद में इस जेल को 1822 ई0 में हीरा डूगरी ले जाया गया लेकिन यह जेल समस्त कैदियों को रखने के लिए पर्याप्त नहीं थी अतः 1855 ई0 में अधिक जगह वाली तथा अधिक सुविधायुक्त दूसरी जेल कैदी मजदूरों की मदद से बनायी गयी जिसमें 3964 रूपया दो आना, दो पैसा खर्च किया गया। इसकी बाहरी दीवार नीचे से कम से कम तीन फीट मोटी तथा बीच में दो फीट मोटी और सोलह फीट ऊँची थी।

शिक्षा स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य

कुमाऊँ में लोग प्राचीन काल से ही शिक्षित थे। पाण्डुवेश्वर में ताम्र पत्र, बागेश्वर में पत्थरों में खुदाई तथा अन्य कत्यूरी शिलालेख इस बात को उजागर करते है कि कत्यूरी राज में संस्कृत राजभाषा थी। चन्दकाल में भी शिक्षा पर अच्छा ध्यान दिया गया था। परन्तु गोरखों के राज्य में शिक्षा को काफी क्षति पहुंची।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी जो कि मुगलों के चरण चिन्हों में चली उसने प्रारम्भ में उत्तरी सूबों के लिए उसी प्रकार का व्यवहार किया। उसने लोगों को शिक्षा की ओर बहुत देर बाद ध्यान दिया सबसे पहले जनता को शिक्षित करने की घोषणा 1813 में की गयी। जबकि उस वर्ष चार्टर एक्ट द्वारा ''एक लाख रूपये से अधिक'' वार्षिक व्यवस्था ''साक्षरता को पुनः जीवित करने तथा उसमें सुधार करने और पढ़े–लिखे भारत के देशी लोगों को इस विषय में प्रोत्साहित करने तथा साइंस के ज्ञान में तरक्की करने के लिए रखे गये। पहला शिक्षा विषयक प्रसारण ''कोर्ट आफ डाइरेक्टरी'' द्वारा 1914 में जारी किया गया। लेकिन उसको लागू करने में कुछ वर्षों तक कोई कदम नहीं उठाये गये और पैसे को इक्ट्ठा रहने दिया गया। 1923 तक इस धन में से व्यय की कोई स्वीकृति नहीं दी गयी। 1923 में सरकार द्वारा ''जन आदेश की सामान्य समिति'' बनायी गयी। जे॰एच॰ हेरिंग्टन को उसका अध्यक्ष और एच॰एच॰ विल्सन को उसका सचिव बनाया गया। डॉ॰ लुबडसेन तथा मिस्टर एल॰ प्राइस क्रमशः मुस्लिम तथा हिन्दू शिक्षा के प्रभारी अधिकारी बनाये गये। कमेटी पूर्वी विचारधारा की थी और उसने उसी का अनुसरण किया जिस पूर्वी नीति के नाम से जाना जाता है। 1850 के वर्ष तक जनरल कमेटी पूर्वी विचारधारा की रही तथा उसका विश्वास रहा कि अरबी और संस्कृत ही ऐसे माध्यम है जिनके द्वारा देश के लोगों के बुद्धिमता के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। जनरल कमेटी की नीति प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आगे बढ़ाने की नहीं वरन् इन माध्यमों में पश्चिमी विचारधारा को शामिल करते हुये इनको व्यापक बनाने व इनमें सुधार करने की थी। और उन्होंने जिस नीति को स्थापित किया उसे छानने वाला सिद्धान्त के नाम से जाना जाता है। उनका प्रयास कुछ ही छांटे गये लोगों को शिक्षित करने तक सीमित था और ये आशा की जा रही थी कि वह शिक्षा जन साधारण तक धीरे धीरे फेलेगी।

सन् 1941 के अन्त में पब्लिक इनस्ट्रकशन जनरल कमेटी भंग कर दी गई और उसके स्थान पर काउन्सिल आफ ऐजूकेशन स्थापित की गयी। 29 अप्रैल 1841 को गर्वनर जनरल इन काउन्सिल ने उत्तरी पश्चिमी प्रान्त के समस्त शैक्षिणिक संस्थाओं को प्रान्त के लेफ्टीनेण्ट गर्वनर जनरल के अधीन रख दिया। शिक्षा अब तक जो केन्द्रीय विषय था, प्रान्तीय विषय बन गया और समस्त स्थानीय शिक्षा समितियों से 3 मई, 1843 ई0 को कहा गया कि वे शिक्षा सम्बन्धी मामलों में सीधे प्रान्तों से सम्पर्क करें। फिर भी उत्तरी पश्चिमी प्रान्त में एजूकेशन आफ काउन्सिल नहीं बनायी गयी थी और लेफ्टीनैण्ट गर्वनर ने स्वयं शैक्षिक नीति तथा उसके प्रशासन का कार्यभार संभाल लिया था।

थामसन ने तय किया कि लोगों को वही शिक्षा दी जाय जिसे वे चाहते है तभी वह लोकप्रिय हो सकती है। अधिकांश लोग अंग्रेजी शिक्षा के स्थान पर वर्नाक्यूलर शिक्षा चाहते थे इसलिए लेफटीनेण्ट गर्वनर ने वर्नाक्यूलर शिक्षा की एक योजना 1846 में तैयार की। उसने हर एक गांव में जिनकी आबादी दो सौ घरों से कम न हो एक स्कूल बनाने का प्रस्ताव रखा जिसमें यह व्यवस्था हो कि उसे दान के रूप में जागीर देकर चलाया जाय जो पांच एकड़ जमीन से कम नहीं ताकि उससे स्कूल अध्यापक की भी मदद हो सके। ''कोर्ट आफ डाइरेक्टरस्'' ने गांव के स्कूल अध्यापक को जागीर दिये जाने की योजना नामंजूर कर दी और संशोधित योजना तैयार करने हेतु लैफ्टीनेण्ट गवर्नर से कहा गया संशोधित योजना में प्रत्येक तहसील मुख्यालय में मिडिल स्कूल जो कि नजदीक व व्यक्तिगत स्कूलों के लिए आदर्श हो, बनाने की योजना बनायी गयी। सरकारी व्यय से चलने वाला यह तहसीलदारी स्कूल ''स्कूलों'' के निरीक्षण का सशक्त माध्यम जिसके द्वारा जनता को एवं अध्यापकों को परामर्श, सहायता एंव उत्साह दिया जा सके और जो अध्यापक सबसे उपयुक्त हो उन्हें इनाम दिये जाने हेतु बनाये गये थे।'' संशोधित योजना में प्रत्येक जिले में एक जिला निरीक्षक अथवा इंस्पेक्टर और प्रत्येक दो तहसीलों के लिए एक सहायक अथवा परगना विजिटर जिसे डिप्टी इंस्पेक्टर कहा जाता था की व्यवस्था की गयी। इन इंस्पेक्टरों को केवल तहसीलदारी स्कूल का ही निरीक्षण नहीं करना था बल्कि उनके क्षेत्र में पड़ने वाले प्राइवेट स्कूलों का भी निरीक्षण करना होता था।

कुमाऊँ एक गैर आइनी प्रान्त था जिस समय यह ब्रिटिश राज्य से जुड़ा उस समय यहाँ पर अलग प्रकार के नियम थे। कुमाऊँ की प्राकृतिक स्थिति ऐसी थी कि कही भी बड़े स्कूल नहीं खोले जा सकते थे। सभी क्षेत्रों में प्रायः बालकों को खेतों के कार्य में

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202012

मदद तथा जानवरों की रखवाली करनी पड़ती थी। अतः स्कूलों में उपस्थिति बहुत ही अनियमित थी। इन समस्याओं के कारण यहाँ शिक्षा की दशा उन्नत नहीं थी। ट्रेल ने लिखा समस्त पहाड़ी गरीब है तथापि वे लिख–पढ़ सकते है।'' ऊँचे ब्राहमणों के बच्चे संस्कृत भी पढ़ते थे जिन्हें कभी–कभी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बनारस भेजा जाता था।'' अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण करते समय कुमाऊँ में हिन्दी और संस्कृत की 121 पाठशालाएं थी। जो कि अध्यापकों के निवास स्थान पर थी इन 121 हिन्दी एवं संस्कृत पाठशालाओं के अतिरिक्त एक उर्दू पाठशाला भी थी जिसमें दस विद्यार्थी थे। इन पाठशालाओं में 54 अध्यापक बड़ी मेहनत से पढ़ा रहे थे और नौ रूपया आठ आना प्रतिमाह वेतन पर कार्य कर रहे थे। 1940 तक समस्त कुमाऊँ में कोई भी पब्लिक स्कूल नहीं था।

1941 ई0 में लूशिंग्टन ने अल्मोड़ा में एक संस्कृत पाठशाला खोली। लेकिन आठ वर्ष की अल्प अवधि में ही यह पाठशाला बन्द हो गयी। 1944 ई॰ में ईसाई मिशनरियों ने एक प्राइवेट इंग्लिश स्कूल खोला जिसे ''बायज मिशन स्कूल'' का नाम दिया गया। अल्मोड़ा नगर में अंग्रेजी शिक्षा प्रारम्भ करने वाला यही विद्यालय रहा है। हिन्दी और संस्कृत की 121 पाठशालाओं की संख्या में 1850 तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ जैसा कि बेटन और रामजे ने 1850 में अपनी रिर्पोटों में उल्लेख किया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ों की खूबसूरत व स्वस्थ्य जलवायु के कारण कुमाऊँ के लोग अच्छे स्वास्थ का आनन्द उठाते रहे होंगे लेकिन दुर्भाग्यवश यह सही नहीं है। एक बहुत की घातक कुष्ठरोग की बीमारी यहाँ पायी जाती थी। कुमाऊँ के पर्वत के कुछ भागों में कुष्ठ रोग बहुत ही निश्चित एवं सामान्य था।

लोगों का विश्वास रहा कि रानीखेत तथा कुमाऊँ के अन्य भागों में गोरा छावनियों के कारण यहां सिफलिश (उपदंष) का प्रसार अधिक हुआ। जिससे कुष्ठ रोग में वृद्धि हुई। 1836 में अल्मोड़ा में स्थित रेजीमेण्ट के इनसाइन रामजे शहर में इधर –उधर घूमने वाले कुष्ठरोगियों को समय–समय पर दान देता था।

अंग्रेजों ने कुमाऊँ में अपने शासन के प्रारम्भ में लगान व करों की वसूली तथा उसे क्षेत्र में शान्ति व व्यवस्था को बनाये रखने को छोड़कर अन्य मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं रखी थी। यद्यपि यह स्वीकार किया जा सकता है कि उन दिनों में जब गोरखाओं के राज्य में अत्याचारपूर्ण प्रशासन के कारण लोगों में भय और असुरक्षा की भावना व्याप्त थी व्यवस्था को बनाये रखना एक बहुत बड़ी देन थी। 19 वीं सदी के द्वितीय चतुर्थांश में सरकार का व्यवहार बदला। यह परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा कुमाऊँ में मजबूत प्रशासन तथा कुछ दूरदर्शी अंग्रेज प्रशासकों जैसे कि बेटन तथा रामजे के कारण हुआ। अतः सरकार ने नहर तालाब तथा कुएं आदि बनाने की ओर ध्यान दिया तथा सड़कों एंव पुलों को बनाकर उनका भी रख–रखाव किया गया। रामजे के पूर्वाधिकारियों द्वारा सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया गया था।

कृषि तथा वन प्रशासन –

अल्मोड़ा जनपद कुमाऊँ का पहाड़ी भाग है यहां ऊँचे और निचले पहाड़ थे। अल्मोड़ा के निचले पहाड़ी तलहट अधिक आबादी वाले थे और उनमें खेती की जाती थी। जो अधिकांश छोटे–छोटे झुण्डों में और पहाड़ की समतल चोटियॉ थी या नदियों के घाटियों के किनारे में फैले हुए थे जिले में कृषि की दशा में ऊँचाई और स्थिति के अनुसार अन्तर था। सबसे अच्छी खेती उन गांवों में होती थी जो तीन हजार से पांच हजार फीट की ऊँचाई पर स्थित थे। सन् 1857 तक कृषि की दशा के बारे में काफी कम पता चलता है।

पहाड़ी प्रदेशों में जंगलों का लोगों के आर्थिक जीवन से महत्वपूर्ण सम्बन्ध है। जंगलों से उनको सस्ती लकड़ी, पत्तियां, चारा तथा मकानों एवं कृषि औजारों के लिए सस्ती लकड़ी मिलती है। तथा आँधियों एवं भूस्खलन से बचाते भी हैं। लेकिन जंगलों को सदैव ही सरकार की सम्पत्ति माना जाता था। अंग्रेजों द्वारा कुमाऊँ को अधिग्रहण करने के पश्चात् ट्रेल ने जंगलों में इमारती लकड़ी और बांस को सरकार के प्रयोग के लिए आरक्षित करने की संस्तुति दे दी। जबकि उसके नीचे घने जंगलों को लोगों के लिए खुला रखा गया। ब्रिटिश राज्य के पहते तीन वर्षों में जंगलात के करों (देयों) को व्यापारिक आधार पर निर्धारित किया गया और बाद में ट्रेल ने इन जमीदारों से जंगलात कर के रूप में काठ–बांस तथा काठ–महालस बसूल किये। 1837 ई0 से पूर्व अल्मोड़ा में कोई विशिष्ट वन व्यवस्था लागू नहीं थी।

उपरोक्त विवरण के आधार पर निष्कर्षस्वरूप यही कहा जा सकता है कि 1815 ई0 से 1857 तक का काल अल्मोड़ा में ब्रिटिश सत्ता का प्रारम्भिक काल था जिसमें उन्होंने यहां के समाज एवं संस्कृति को ध्यान में रखते हुए अनेक नियम एवं कानून लागू किये। यद्यपि इस काल में ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था विशेष अच्छी न थी, किन्तु अल्मोड़ावासी गोरखों के क्रूर शासन को अभी भूले न थे। अतः उन्होंने अंग्रेजी शासन के दोषों की ओर ध्यान नही दिया। इस प्रकार अंग्रेज कुमाऊँ में अपने शासन की स्थापना तथा उसे सुचारू रूप प्रदान करने में सफल हो गए।

सन्दर्भ

1. एटकिन्सन, ई॰टी॰ (1882) दि हिमालयन गजेटियर (भाग–2) पृ॰ 629–30
2. पांडे, बद्रीदत्त (1937), कुमाऊँ का इतिहास, पृ॰ 405–06
3. सांकृत्यायन, राहुल (1944) कुमाऊँ, पृ॰ 122
4. किरमिनजर (एडिट) (1812) रिपोर्ट आफ दि सलेक्ट कमेटी आफ दि हाउस आफ कामन्स, वाल्यूम, 2
5. बनर्जी, पी॰ (1948) इण्डियन फाइनेन्स इन दि डेज आफ दि कम्पनी, पृ॰ 250–251
6. जहीर एण्ड गुप्ता (1978), दि आर्गनाइजेशन आफ दि गवर्नमेन्ट इन उत्तर प्रदेश।
7. जरनल आफ यू॰पी॰ हिस्टोरीकल सोसाइटी, वाल्यूम–2, पार्ट–1, पृ॰ 26
8. वाल्टन, एच॰जी॰ (1928) अल्मोड़ा गजेटियर, पृ॰ 127
9. वाल्टल, एच॰जी॰ (1921) ब्रिटिश गढ़वाल, गजेटियर, पृ॰ 86।
10. स्टोवैल, वी॰ए॰ (1937) मैनुअल आफ लैंड टेनिअरस आफ कुमाऊँ डिविजन, पृ॰1 ।
11. अल्मोड़ा रिकार्डस (1815) लिस्ट 1, फाइल–6, राजकीय अभिलेखागार, लखनऊ गवर्नमेन्ट, प्रेस इलाहाबाद।

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202012

12. सक्सेना, वी॰पी॰ (1907) हिस्टोरीकल पेपर्स रिलेटिंग टू कुमाऊँ, पृ॰ 18।
13. बाडेन, पावेल (1882) दि लैन्ड सिस्टम इन ब्रिटिश इन्डिया, भाग दो, पृ॰ 309।
14. बेटन जे॰एस॰ (1851) आफिशियल रिपोर्ट आन दि प्राविन्स आफ कुमाऊँ, पृ॰ 20।
15. रुल्स एन्ड आर्डरस रिलेटिंग टू कुमाऊँ, गवर्नमेन्ट प्रेस, इलाहाबाद, 1930, पृ॰ 77।
16. अल्मोड़ा रिकार्डस, खण्ड 3 (1853–55), पृ॰ 451–52।
17. अल्मोड़ा स्मारिका (1973), पृ॰ 142–143।
18. मित्तल, ए॰के॰ (1986) ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन कुमाऊँ, हिमालया, मित्तल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।

ISSN: 2456-0510
DOI: https://doi.org/10.24321/2456.0510.202012